प्रेस नोट दिनांक 06.07.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी द्वारा "हत्या के प्रयास" से संबंधित 01 अभियुक्त रसीद अली को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा "हत्या का प्रयास" के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत भोपालपुर कलियानापुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

वादी निवासी ग्राम रमईपुर नेवादा, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना पट्टी पर तहरीर दी गई कि दिनांक 03.07.2026 को रात्रि पेट्रोल लेने जाते समय रमईपुर स्थित पेट्रोल पंप के निकट रसीद पुत्र मुनीर, नसीम पुत्र वकील, जिगर पुत्र वकील तथा 3-4 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लाठी-डंडों एवं हाथ-मुक्कों से मारपीट की गई तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे वादी एवं उसके साथी को चोटें आईं। इस संबंध में थाना पट्टी में मु0अ0स0 293/26 धारा 115 (2),352, 351 (3), 110, 109 (1) बी0एन0एस0 व 3 (1)द, 3 (1)ध, 3 (2) (va) sc/st act बनाम 3 नामजद व 3-4 अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया हैं।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में थाना पट्टी के उ0नि0 विजय कुमार यादव मय हमराही का0 अभिनव नारायण सिंह,रि0का0 गोलू,व रि0का0 आशुतोष पटेल द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 293/26 धारा 115 (2),352, 351 (3), 110, 109 (1) बी0एन0एस0 व 3 (1)द, 3 (1)ध, 3 (2) (va) sc/st act से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त रसीद अली पुत्र मुनीर अहमद 36 वर्ष निवासी ग्राम भोपालपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत भोपालपुर कलियानापुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम- रसीद अली पुत्र मुनीर अहमद उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम भोपालपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 विजय कुमार यादव मय हमराही का० अभिनव नारायण सिंह,रि0का0 गोलू,व रि0का0 आशुतोष पटेल थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़

थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत हुई हत्या की घटना के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त गिरफ्तार एवं 02 अदद बांस के डंडे बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना अंतू पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों, मोनू, सूरज बनवासी को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तों की निशानदेही पर 02 अदद बांस के डंडे बरामद किया गया-

थाना अंतू पुलिस द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए 01 नामजद अभियुक्त रामराज पुत्र दुखी को पूर्व में ही गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है।

प्रतापगढ़।
दिनांक 04.07.2026 को थाना अन्तू पर वादिनी निवासी ग्राम बघुमार, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना अंतू पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उनके निर्माणाधीन मकान पर कार्य कर रहे राजगीर एवं मजदूरों द्वारा मजदूरी के रुपये के लेन-देन को लेकर हुए विवाद के दौरान अभियुक्तगण 1. रामराज हरिजन पुत्र दुखी, 2. राजू मुसहर पुत्र जमुना, 3. मोनू पुत्र जीतलाल एवं 4. सूरज पुत्र जमुना, समस्त निवासीगण अज्ञात द्वारा उनके पति राममिलन गुप्ता के साथ क्रिकेट के बल्ले से मारपीट की गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। उपचार हेतु अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अन्तू पर मु0अ0सं0 169/2026, धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अंतू श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह, हे0 का0 ऋषिकेश यादव, का0 भागीरथ सिंह, का0 अंकित कुमार द्वारा क्षेत्र भ्रमण, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना अंतू पर पंजीकृत मु0अ0सं0 169/2026, धारा 103(1) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्तों, 01. मोनू पुत्र जीतलाल बनवासी उम्र करीब 25 वर्ष, 02 सूरज बनवासी पुत्र जमुना प्रसाद उम्र करीब 26 वर्ष निवासीगण जैतीपुर कठार थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत ककरहा चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया है कि कई दिन से हम लोग अपनी मजदूरी का पैसा मृतक राममिलन गुप्ता से मांग रहे थे, लेकिन मृतक राममिलन गुप्ता मजदूरी का पैसा नहीं दे रहा था तथा धमका कर हम लोगों को भगा देता था। जिससे मैं पूर्ण रूप से दिनांक 04/07/26 को तैयारी के साथ हम दोनों तथा रामराज हरिजन पुत्र दुखी हरिजन निवासी धन्नौर थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़, राजू मुसहर पुत्र जमुना प्रसाद निवासी जैतीपुर कठार थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ को साथ लेकर अपने मजदूरी का पैसा मांगने के लिए मृतक राममिलन गुप्ता के घर गए थे। जहां पर राम मिलन गुप्ता से मजदूरी के पैसा मांगने को लेकर उसने हम चारो से मार पीट करने लगा जिससे आवेश में आकर हम दोनों ने उसके घर पर रखा बांस का डंडा उठाकर उसके सिर पर मार दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया तथा हम लोग मौके से फरार हो गए। कुछ देर बाद जब हम लोगों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है और हम चारों के खिलाफ उसकी औरत सुशीला देवी ने मुकदमा लिखवा दिया है तो मैं गाँव छोड़कर बाहर भागने के फिराक में था कि साहब आप लोगों ने आकर मुझे पकड़ लिया गया। हम दोनों ने बांस के डंडे से मारा था जिसे जैतीपुर कठार के जंगल में छिपा दिया था चलिए हम दोनों उसे बरामद कराते है, तत्पश्चात दोनों को साथ लेकर

बताये हुए स्थान पर पहुंचे अभियुक्त सूरज बनवासी उपरोक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल बांस का डंडा बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1.मोनू पुत्र जीतलाल बनवासी उम्र करीब 25 वर्ष,
2.सूरज बनवासी पुत्र जमुना प्रसाद उम्र करीब 26 वर्ष निवासीगण जैतीपुर कठार थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. रामराज पुत्र दुखी राम निवासी धनौर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 सचिन यादव, आरक्षी लाखन सिंह, आरक्षी लोकेंद्र सिंह, आरक्षी मृत्युंजय चौधरी थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

स्पेशल टीम - प्रभारी उ0नि0 श्री विजेन्द्र सिंह मय हमराह हे0का0 भानु प्रताप सिंह, का0 मुकेश कुमार पटेल, का० माधवेश राय, का० पियूष यादव व का० आनन्द यादव।

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लीलापुर के उ0नि0 सुमित कुमार वर्मा मय हमराह का0 राजकिशोर यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, ए0सी0जे0एम0 प्रतापगढ़ द्वारा जारी केस सं0 1227/20 धारा 147,323,324,504,506 भादवि थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त समीम पुत्र बच्चन खाँ उम्र करीब 45 वर्ष नि0 ग्राम शकूहाबाद थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
अभियुक्त 1. समीम पुत्र बच्चन खाँ उम्र करीब 45 वर्ष नि0 ग्राम शकूहाबाद थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम-
उ0नि0 सुमित कुमार वर्मा मय हमराह का0 राजकिशोर यादव थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 अभिषेक कुमार वर्मा मय हमराह हे0का0 रामबचन यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, माननीय न्यायालय विद्युत अधि० स्पेशल कोर्ट प्रतापगढ द्वारा जारी वाद सं0 800009/2007 अ0सं0 174/2006 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अरशद उर्फ टेनी पुत्र अब्दुल जलील निवासी मदीना मस्जिद के सामने कटरा मेदनीगंज थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ को घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.अरशद उर्फ टेनी पुत्र अब्दुल जलील निवासी मदीना मस्जिद के सामने कटरा मेदनीगंज थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ

पुलिस टीम-

उ0नि0अभिषेक कुमार वर्मा मय हमराह हे0का0 रामबचन यादव थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।